न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 60/2022

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल निवासी 15 एफ एफ, ग्राम पंचायत 14 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 28.04.2022

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम 1955

--निर्णय-- **दिनांक : 28.04.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 52, 53 में मेरे नाम 12 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में मेरा नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह अंकित है। मेरे अन्य दस्तावेजात में नाम बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल दर्ज है। अतः निवेदन है कि मेरा नाम दुरूस्त कर बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल दुरूस्त किए जाने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संवध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 15 एफ एफ की चालू जमाबन्दी में बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम से खाता संख्या 52, 53 में भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। दोनो खातो में अंकित बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल अंकित करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 52/53, 53/53 की प्रति, प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 15 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 52/53, 53/53 में दर्ज नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह के स्थान पर बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पासपोर्ट में नाम बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 15 एफ एफ की चालू जमाबन्दी में बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम से खाता संख्या 52, 53 में भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। दोनो खातो में अंकित बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल अंकित करवाना चाहता है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तहसीलदार श्रीकरणपुर, व वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 52/53, 53/53 अंकित नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह के स्थान पर बलविन्द्र सिंह हुन्दल पुत्र सोहन सिंह हुन्दल दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021, ग्राम पंचायत मोटासरखूनी में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★